भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 795
05 दिसंबर, 2025 को जवाब दिया

पारंपरिक वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना में एमएसएमई की भागीदारी

795. श्री मिलिंद मुरली देवरा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पारंपरिक वस्त्रों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पंजीकरण और भागीदारी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वस्त्र क्लस्टरों में एमएसएमई की सहभागिता और कौशल विकास में सुधार के लिए क्या पहल की गई हैं;

(ग) योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक, प्राप्त निर्यात परिणामों और मूल्य संवर्धन के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक वस्त्र संवर्धन को और मजबूत करने की क्या योजनाएँ हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर, 2021 में वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई थी। अब तक, पीएलआई योजना के तहत कुल 91 कंपनियों को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें 36 एमएसएमई शामिल हैं। दिनांक 30.09.2025 तक, पीएलआई योजना के तहत कंपनियों ने 733 करोड़ रुपये का सामान निर्यात किया है और 7290 करोड़ रुपये का कुल लेन-देन किया है।

इसके अलावा, एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने योजना में बदलाव किया है जिसके अंतर्गत नए आवेदकों के लिए निवेश की ज़रूरत को 300 करोड़ रुपए से घटाकर 150 करोड़ रुपए (पार्ट-1) और 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए (पार्ट-2) कर दिया गया है। न्यूनतम वृद्धात्मक लेनदेन मानक को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है और प्रोडक्ट बास्केट को विस्तारित किया गया है ताकि इसमें ज़्यादा मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) अपैरल, फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र शामिल किए जा सकें। योजना का फ़ायदा उठाने के लिए नई कंपनी बनाने की ज़रूरत को भी हटा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ स्कीम लागू कर रहा है, जिसके तहत 01.12.2025 तक 5.35 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 4.20 लाख को रोजगार मिल चुका है।

(घ): देश और विदेश में वस्त्र ट्रेड को बढ़ावा देने के मकसद से, मंत्रालय परंपरागत उत्पादों पर फोकस करने वाली ईपीसी जैसे हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एचएचईसी), कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीईपीसी), एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स (ईपीसीएच), वगैरह सहित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईपीसी) और ट्रेड फेयर/एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए उद्योग संगठनों को मदद कर रही है। इसके अलावा, मंत्रालय एक ग्लोबल मेगा टेक्सटाइल इवेंट, जिसका नाम भारत टेक्स है, का भी आयोजन कर रहा है ताकि भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला का वर्चस्व प्रदर्शित किया जा सके, वस्त्र और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/इनोवेशन को रेखांकित किया जा सके और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए भारत को सबसे पसंदीदा जगह के तौर पर दिखाया जा सके।
